

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

29/10/16

श्री देवाशीष बोस, पिता-स्व० नरेन्द्र कुमार, सा०-मधेपुरा वार्ड नं०-०९, आजाद नगर, थाना+जिला-मधेपुरा को एक, एन०पी०बोर रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति संख्या-15/2005 (मधेपुरा थाना) प्राप्त है। जिस पर रिवाल्वर संख्या-FA-7332 By Spain धारित है। उनकी पत्नी श्रीमती सपना बोस, पति-स्व० देवाशीष बोस, सा०-मधेपुरा वार्ड नं०-०९, आजाद नगर, थाना+जिला-मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पति देवाशीष बोस की मृत्यु दिनांक 21.08.2016 को हो चुकी है।

अतः श्रीमती सपना बोस, पति-स्व० देवाशीष बोस द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत उनके पति स्व० देवाशीष बोस के नाम से निर्गत एन०पी०बोर रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति संख्या-15/2005 को रद्द किया जाता है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत धारित रिवाल्वर संख्या-FA-7332 By Spain को मधेपुरा थाना के मालखाना में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदिका श्रीमती सपना बोस, पति-स्व० देवाशीष बोस को निदेश दिया जाता है कि मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जमा किए गए शस्त्र की पावती रसीद की प्रति जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरांत उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

6/

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....112...../श०, मधेपुरा, दिनांक...29.10.2016

प्रतिलिपि : श्रीमती सपना बोस, पति-स्व० देवाशीष बोस, सा०-मधेपुरा वार्ड नं०-०९, आजाद नगर, थाना+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा